भाग-क

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-1

सामान्य

अध्याय-1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान सृजित कर तथा गैर-कर राजस्व, भाज्य केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में से राज्य के भाग स्वरूप प्राप्तियां तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त तथा पिछले चार वर्षों से संबंधित राशियां नीचे **तालिका-1.1** में दी गई है:

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	**राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व**					
	कर राजस्व	5,832.43	6,272.74	6,333.95	7,326.19	7,819.13
	गैर-कर राजस्व	2,160.19	2,869.69	1,978.05	3,912.79	4,074.44
	कुल	**7,992.62**	**9,142.43**	**8,312.00**	**11,238.98**	**11,893.57**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	भाज्य केन्द्रीय करों तथा शुल्कों से निवल प्राप्ति भाग	3,870.37	4,142.10	4,477.23	7,813.48	9,488.60
	सहायता अनुदान	14,353.87	13,843.45	16,149.36	16,728.14	20,598.55
	कुल	**18,224.24**	**17,985.55**	**20,626.59**	**24,541.62**	**30,087.15**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**26,216.86**	**27,127.98**	**28,938.59**	**35,780.60**	**41,980.72**
4.	**3 से 1 का प्रतिशत**	**30**	**34**	**29**	**31**	**28**

(स्रोत: राज्य के वित्तीय लेखे 2016-17)

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 17.33 प्रतिशत बढ़ गयी। राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व (₹11,893.57 करोड़) पिछले वर्ष कुल प्राप्तियों के 31 प्रतिशत की तुलना में 28 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान शेष 72 प्रतिशत में से 68.46 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान स्वरूप प्राप्त हुआ। भारत सरकार से सहायता अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 49.07 प्रतिशत था।

1.1.2 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान अर्जित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2: अर्जित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की तुलना में 2016-17 के वास्तविक में प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी(-)
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एम)= (के-आई)÷ आई%
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	4,218.57	4,174.39	4,799.00	4,578.81	4,530.00	4,601.52	5,985.00	5,276.54	6,237.65	6,011.98	13.94
2.	वस्तु तथा यात्रियों पर कर	474.40	504.91	559.00	565.53	562.00	557.81	715.00	666.21	812.35	747.88	12.26
3.	राज्य आबकारी	413.00	421.28	442.00	440.06	462.00	466.08	485.00	532.82	536.00	569.26	6.84
4.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	423.36	277.86	504.00	276.94	466.02	313.40	350.71	428.87	350.00	89.94	(-) 79.03
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	270.55	240.14	321.93	260.68	215.16	247.98	260.00	264.23	332.00	227.62	(-) 13.86
6.	वाहनों के करों पर शुल्क	139.00	117.89	153.00	134.23	160.40	132.34	183.60	145.15	160.52	149.71	3.14
7.	भूमि राजस्व	35.60	95.45	40.80	15.97	42.22	14.58	8.68	12.18	9.19	16.89	38.67
8.	अन्य[1]	0.54	0.51	0.54	0.52	0.60	0.24	0.10	0.19	4.00	5.85	2,978.95
	कुल	**5,975.02**	**5,832.43**	**6,820.27**	**6,272.74**	**6,438.40**	**6,333.95**	**7,988.09**	**7,326.19**	**8,441.71**	**7,819.13**	

(स्रोत: राज्य बजट 2017-18 तथा वित्तिय लेखे 2016-17)

2015-16 की तुलना में 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों में वाहनों के कर पर शुल्क, राज्य आबकारी, वस्तु तथा यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि शीर्ष में 3.14 प्रतिशत से लेकर 38.67 प्रतिशत के बीच वृद्धि रही। इसके अतिरिक्त विद्युत पर कर तथा शुल्क शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 79 प्रतिशत की कमी रही। विभाग द्वारा बड़ी कमी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2017)।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान अर्जित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में निदिष्ट है।

[1] वस्तुओं और सेवाओं पर कर और शुल्क (मनोरंजन कर)

तालिका-1.3: अर्जित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2015-16 की तुलना में 2016-17 के वास्तविक में प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी(-)
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एम)= (के-आई)÷ आई%
1.	विद्युत	2,387.29	1,588.62	2,840.60	1,533.09	2,629.90	1,427.73	2,979.60	1,477.22	4,740.96	2,770.24	87.53
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	68.07	59.31	67.53	67.90	70.80	70.85	76.09	67.84	85.90	16.65	(-) 75.46
3.	पुलिस	24.50	28.34	65.00	56.75	87.75	19.97	66.20	34.11	71.50	67.63	98.27
4.	अलौह, खनन तथा धातुकर्म उद्योग	50.35	54.02	60.18	53.35	60.40	48.50	65.10	57.23	65.10	42.74	(-) 25.32
5.	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	37.00	31.92	43.57	38.03	49.50	36.90	57.20	45.77	60.57	51.99	13.59
6.	लोक निर्माण कार्य	24.97	27.19	26.49	23.57	27.80	23.13	23.87	27.55	25.26	21.14	(-) 23.27
7.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	20.25	18.08	22.63	15.70	23.77	22.69	24.99	22.53	26.02	21.86	(-) 2.97
8.	ब्याज प्राप्तियां	21.94	16.38	21.50	12.80	23.19	13.58	22.77	96.35	2.43	18.62	(-) 80.67
9.	अन्य गैर-कर प्राप्तियां*	184.40	336.33	252.36	1,068.50	180.55	314.70	139.15	2,084.19	146.54	1,063.57	(-) 48.97
	कुल	**2,818.77**	**2,160.19**	**3,399.86**	**2,869.69**	**3,153.66**	**1,978.05**	**3,454.97**	**3,912.79**	**5,224.28**	**4,074.44**	

(स्रोत: राज्य बजट 2017-18 तथा वित्त लेखे 2016-17)

**0050-लाभांश और लाभ, 0056-जेल, 0058-स्टेशनरी व प्रिंटिंग, 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान और वसूली, 0075-विविध सामान्य सेवाएं, 0202-शिक्षा खेल, कला और संस्कृति, 0216-आवास, 0217-शहरी विकास, 0220-सूचना एवं प्रसार, 0230-श्रम एवं रोजगार, 0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 0401-फसल कृषि व्यवस्था, 0403-पशुपालन, 0405-मत्स्य पालन, 0408-खाद्य भण्डारण और भांडागारण 0425-सहयोग, 0435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 0575-अन्य विशिष्ट क्षेत्र के कार्यक्रम, 0701-प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई, 0702-लघु सिंचाई, 0851-ग्रामीण और लघु उद्योग, 1054-सड़कें तथा पुल, 1452-पर्यटन तथा 1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवा*

जल आपूर्ति और स्वच्छता, विद्युत और पुलिस से वास्तविक संकलन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 13.59 प्रतिशत और 98.27 प्रतिशत के बीच बढोतरी रही। यद्यपि चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग अन्य गैर-कर प्राप्तियां, वानिकी और वन्य जीवन तथा ब्याज प्राप्तियों के प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत 2.97 प्रतिशत और 80.67 प्रतिशत के बीच गिरावट देखी गयी।

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में गिरावट के संबंध में बताए गए कारण निम्नलिखित है:

ब्याज प्राप्तियां: नकदी शेष के निवेश पर ब्याज की कम प्राप्ति गिरावट का प्रमुख कारण था।

वानिकी एवं वन्य जीवन: लकड़ी तथा वन्य उत्पादों की बिक्री से कम प्राप्ति कमी का प्रमुख कारण रही थी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 तक राजस्व के बकायों की राशि ₹1,505.82 करोड़ थी, जिसमें से ₹743.77 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी, जिसका विवरण **तालिका-1.4** में है:

तालिका-1.4: राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**राजस्व शीर्ष**	**31 मार्च 2017 तक कुल बकाया राशि**	**31 मार्च 2017 तक पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि**	**विभागों के उत्तर**
1.	बिक्री/ वैट व्यापार आदि पर कर	1,425.52	675.59	वसूली की प्रक्रिया उपायुक्त वाणिज्यिक कर वसूली, द्वारा शुरू की गई जिनके द्वारा वसूली जेएण्डके वैट अधिनियम, 2005 और जेएण्डके जीएसटी अधिनियम, 1962 जिसको जम्मू व कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम संवत 1966 के साथ पढा जाए के अंतर्गत शुरू की गई।
2.	यात्री कर	32.40	21.92	
3.	मनोरंजन कर	0.21	0.21	भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली योग्य बकाया पर कार्रवाई की गई तथा अधिकतर मामले माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।
4.	टोल टैक्स	28.69	27.05	
5.	राज्य आबकारी	19.00	19.00	
कुल		**1,505.82**	**743.77**	

1.3 निर्धारण में बकाया राशि

बिक्री कर/ वैट और निर्माण कार्य ठेकों के संबंध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्ष के शुरूआत में लंबित मामलें, निर्धारण हेतु देय मामले**,** वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले और वर्ष के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने वाले मामलों का विवरण नीचे **तालिका-1.5** में दिया गया है:

तालिका-1.5: निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	आदि शेष	2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले	कुल निर्धारण देय	वर्ष 2016-17 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री कर/ वैट	10,596	13,568	24,164	12,162	12,002	50
निर्माण कार्य ठेकों पर कर	28,082	19,964	48,046	17,790	30,256	37

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

निर्धारण हेतु कुल यथोचित देय मामलों में से बिक्री कर/ वैट के संदर्भ में केवल 50 प्रतिशत मामलों का निर्धारण पूर्ण किया गया तथा निर्माण कार्य ठेको पर कर के मामलों में 37 प्रतिशत का ही निर्धारण पूर्ण किया गया। 2016-17 के दौरान कम निर्धारण का कारण हालांकि विभागों से पूछा गया परन्तु उनके द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2017)।

1.4 विभागों द्वारा पकड़ी गई कर की चोरी

कर चोरी के पकड़े गए मामलें, अंतिम रूप दिए गए मामलें और अतिरिक्त कर हेतु उठाई मांग का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया **तालिका-1.6** में दिया गया है:

तालिका-1.6: कर की चोरी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को लंबित मामले	2016-17 के दौरान पकड़े गये मामले	कुल	जिन मामलों में निर्धारण /जांच पूर्ण हो गई और जुर्माने सहित अतिरिक्त मांग इत्यादि की संख्या			31 मार्च 2017 को अंतिम रूप दिए जाने वाले लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	वसूली गई राशि	
1.	बिक्री कर/ वैट	3,202	1,287	4,489	4,283	22.80	0.69	206
2.	यात्री कर	398	120	518	518	0.03	0.03	0
कुल		**3,600**	**1,407**	**5,007**	**4,801**	**22.83**	**0.72**	**206**

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

2016-17 के दौरान 4,801 मामलों में उठाई गई ₹22.83 करोड़ की कुल मांग के प्रति ₹0.72 करोड़ ही वसूल हो पाए जो कि वसूल करने योग्य राशि का 3.15 प्रतिशत है। वसूली की धीमी गति के कारणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2017)।

1.5 धन वापसी के लंबित मामले

वर्ष 2016-17 की शुरूआत में धन की वापसी के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार की गई धन वापसी और वर्ष 2016-17 के समापन पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, **तालिका-1.7** में दिए गए हैं:

तालिका-1.7: धन वापसी के लंबित मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बिक्री कर /वैट	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के शुरूआत में बकाया दावे	11	1.79
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त हुए दावे	1	0.15
3.	वर्ष के दौरान की गई धन वापसी	4	0.01
4.	वर्ष के अंत में शेष बकाया	8	1.93

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

यह देखा गया है कि यद्यपि मामलों की संख्या तो घटी है, परन्तु लंबित धन वापसी बढ़ गई है।

1.6 सरकार/ विभागों की लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर द्वारा सरकारी विभागों की निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार मुख्य लेखों के और अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन तथा लेन-देनों की नमूना जांच का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के उपरांत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को भेजा जाता है तथा साथ ही शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इनकी प्रतियां उनके अगले उच्चतर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/ सरकार को आईआर में दर्शाई टिप्पणियों, त्रुटि और चूक के शोधन पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर आईआर प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के अंदर महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजी जानी आवश्यक है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्ष तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन और विधि विभागों के संदर्भ में दिसम्बर 2016 तक जारी की गई 775 आईआर में कुल 3,875 पैराग्राफ जिनमें ₹1,176.45 करोड़ सम्मिलित है, जून 2017 के समापन तक बकाया थे जैसा कि पिछले दो वर्षों के आंकडों के साथ **तालिका-1.8** में वर्णित है:

तालिका-1.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निपटान हेतु लंबित आईआर की संख्या	643	711	775
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	2,870	3,400	3,875
राजस्व की लिप्त राशि (₹ करोड़ में)	1,186.05	1,276.83	1,176.45

वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन और विधि विभाग (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित 30 जून 2017 तक बकाया आईआर और लेखापरीक्षा आपत्तियों में लिप्त राशि का विभाग वार विवरण **तालिका-1.9** में दिया गया है:

तालिका-1.9: निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभाग वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया आईआर की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां की संख्या	लिप्त धन राशि
1.	**वाणिज्यिक कर**	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	472	2,833	961.15
		यात्री एवं वस्तु कर (पीजीटी)	11	45	2.02
2.	**राज्य आबकारी**	राज्य आबकारी	108	426	83.21
3.	**मोटर वाहन**	मोटर वाहनों पर कर	153	378	120.19
4.	**विधि**	स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	31	193	9.89
कुल			**775**	**3,875**	**1,176.46**

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई 51 आईआर में से केवल 11 आईआर के ही उत्तर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त हुए। यह इस तथ्य का सूचक है कि कार्यालय प्रमुख द्वारा आईआर में दर्शाई गई विसंगतियों चूक और अनियमितताओं पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई। आगे, राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन और विधि विभाग) से संबंधित लंबित आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार द्वारा (क) लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कर निर्धारित समय में महालेखाकार को उत्तर भेजा जाए और (ख) पैराग्राफों के निपटान हेतु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा समितिओं का गठन किया जाए, इसकी बैठकें आयोजित करे और प्रगति की निगरानी रखी जाए।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वाणिज्यिक करों, राज्य आबकारी, मोटर वाहन तथा विधि विभाग (राजस्व क्षेत्र) के विभागों को पिछले पांच वर्षों में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति का संक्षिप्त रूप, इन निरीक्षण प्रतिवदेनों में सम्मिलित पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2017 को इनकी स्थिति नीचे **तालिका-1.10** में दर्शायी गयी है:

तालिका-1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष			निपटान किए गये पैराग्राफों का प्रतिशत
		आईआर	पैराग्राफ	मुद्रा मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मुद्रा मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मुद्रा मूल्य	आईआर	पैराग्राफ	मुद्रा मूल्य	
	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)	(एल)	(एम)	(ओ)
1.	**2012-13**	515	2,296	972.26	67	389	277.21	7	213	225.70	575	2,472	1,023.77	8
2.	**2013-14**	575	2,472	1,023.77	56	515	180.29	14	157	15.77	617	2,830	1,188.29	5
3.	**2014-15**	617	2,830	1,188.29	59	553	67.00	8	194	24.93	668	3,189	1,230.36	6
4.	**2015-16**	668	3,189	1,230.36	70	494	76.86	7	140	25.90	731	3,543	1,281.32	4
5.	**2016-17**	731	3,543	1,281.32	51	403	329.16	28	237	424.04	754	3,709	1,186.44	6

प्रत्येक वर्ष के अंत में लेखापरीक्षा पैराग्राफों का निपटान और समाधान की गति बहुत धीमी, कुल लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों का चार प्रतिशत और आठ प्रतिशत के बीच रही। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर गैर-जिम्मेदाराना शासनात्मक कार्रवाई, जवाबदेही को कम करता है और राजस्व के घाटे के टालने योग्य खतरे को बढाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की निरंतर बढती हुई संख्या सरकार को प्रत्येक विभाग में लेखापरीक्षा समिति के गठन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समाधान तथा अनुपालन की समीक्षा तथा प्रभावी क्रियाविधि/ तंत्र की निरंतर निगरानी के लिए प्रेरित करती है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.8.1 की गई कार्रवाई टिप्पणियों को प्रस्तुत न करना

राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जून 1997 में अनुदेश जारी किए गए थे कि सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों, चाहे व समिति द्वारा चर्चा हेतु चयनित हो या न हो, पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां चर्चा हेतु लोक लेखा समिति (पीएसी) को उपलब्ध कराए। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर महालेखाकार द्वारा विधिवत पुनरीक्षण उपरांत समिति को जमा कराया जाना होता है।

यह देखा गया कि 2000-01 से 2015-16[2] तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में राजस्व क्षेत्र के अध्याय में सम्मिलित 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 30 सितम्बर 2017 तक 81 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संदर्भ में एटीएन प्राप्त नहीं हो पाए थे।

[2] 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जम्मू व कश्मीर विधानमंडल में 4 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया

1.8.2 पीएसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

चर्चा किए जा चुके लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में पीएसी द्वारा दी गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियां महालेखाकार द्वारा विधिवत पुनरीक्षण उपरांत ऐसे टिप्पणियां/ सिफारिशों के लिए जाने की तिथि के छः माह के अन्दर इन समितियों को भेजा जाए। 2000-01 से 2014-15 के वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में राजस्व क्षेत्र के सम्मिलित 103 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से 30 सितम्बर 2017 तक केवल 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर ही पीएसी द्वारा चर्चा की गई। पीएसी द्वारा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों जिनमें 11 पैराग्राफ जिन पर आंशिक चर्चा की गई भी शामिल हैं, के संबंध में सिफारिशें दी गई तथापि 13 पैराग्राफ पर समिति की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लंबित है।

1.8.3 स्वीकार किए गए मामलों की वसूली

पिछले पांच वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए पैराग्राफ, वे जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूली गई राशि की स्थिति **तालिका-1.11** में दर्शाई गई है।

तालिका-1.11: स्वीकार किए गए मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ की धन राशि	धन राशि सहित स्वीकृत पैराग्राफ की संख्या	स्वीकृत पैराग्राफ की धन राशि	वर्ष 2016-17 के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2017 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2011-12	7	80.10	7	80.10	शून्य	0.42
2012-13	6	244.53	6	244.53	शून्य	0.10
2013-14	5	9.28	5	1.11	शून्य	0.04
2014-15	4	0.76	4	0.76	0.02	0.10
2015-16	7	124.10	6	88.76	0.07	0.07
कुल		**458.77**		**415.26**	**0.09**	**0.73**

उपरोक्त से यह ज्ञात हुआ कि 2011-12 से 2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ के संबंध में विभाग/ सरकार द्वारा ₹415.26 करोड़ वाले लेखापरीक्षा टिप्पणियां को स्वीकृत किया गया, जिसमें से 2016-17 तक केवल ₹0.73 करोड़ (0.18 प्रतिशत) की वसूली हो पायी। स्वीकृत मामलों में शामिल देय की वसूली की निगरानी और अनुकरण हेतु विभाग द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाए।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाई में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना सरकारी

राजस्व और कर प्रशासन जैसे कि: बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (राज्य तथा केन्द्र) का प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों में राजस्व कमाई का सांख्यिकी विश्लेषण कर प्रशासन के घटक लेखापरीक्षा क्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों के परस्पर जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्ति (वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, परिवहन तथा विधि विभाग) को 261 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 70 इकाईयों हेतु योजना तैयार की गई तथा 61 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.10.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्यिक कर (बिक्री कर/ मूल्य संवर्धित कर) राज्य आबकारी, मोटर वाहन तथा विधि विभागों की 261 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 61 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान न्यून कर निर्धारण/ कम उगाही/ राजस्व हानि के 763 मामलों का कुल योग ₹316.16 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान न्यून कर निर्धारण और अन्य कमियों के 104 मामले जिनमें ₹5.88 करोड़ की राशि लिप्त थी, को विभागों द्वारा स्वीकारा गया तथा पिछले वर्षों के साथ-साथ वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित 25 मामलों में ₹57.74 लाख एकत्र किए गए। लेखापरीक्षा में इंगित इकाई वार न्यून कर निर्धारण तथा प्रभावित वसूलियों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

1.11 राजस्व अध्याय की कवरेज

इस प्रतिवेदन में 'सेवाओं पर कर की उगाही, निर्धारण तथा संग्रहण' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा, 'लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के निर्धारण तथा उद्ग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा तथा खरीदारी छिपाने से देय कर की कम उगाही, कर दरों का अनुचित अनुप्रयोग, इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति, टर्नओवर का गलत वर्गीकरण, स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क की कम उगाही, स्टाम्प शुल्क में अमान्य कटौती, सरकारी धन के गलत विनियोजन इत्यादि से संबंधित ₹224.68 करोड़ के राजस्व वाले नौ पैराग्राफ निहित है। विभाग/ सरकार ने ₹22.62 करोड़ के लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकृत किया गया है जिनमें से ₹0.21 करोड़ की वसूली की गयी।